



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव / Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 103/सा.प./अर्न बाय लर्न/2019/ **315**

दिनांक : 28.11.2019

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. एवं पीएच.डी. शोधार्थियों से अर्न बाय लर्न योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के अनुसार दिनांक 27.11.2019 को विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार में चयनित विद्यार्थी निम्नानुसार हैं :

क्र	विद्यार्थियों के नाम	वर्तमान में अध्ययनरत	वर्ग
साहित्य विद्यापीठ			
1	श्री शंकर मुरकेवाड	एम.ए. हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	अनुसूचित जनजाति
2	श्री मनीष तिवारी	एम.ए प्रदर्शनकारी कला (फिल्म एवं नाटक) विभाग (प्रथम छमाही)	ई.डब्ल्यू.एस.
3	श्री कपिल	एम.ए ,संस्कृत, (तृतीय छमाही)	अन्य पिछड़ा वर्ग
संस्कृति विद्यापीठ			
4	श्री मुकुल केवळराम भैसारे	एम.ए दलित एवं जनजातीय अ. (प्रथम छमाही)	अनुसूचित जनजाति
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ			
5	श्री अंकिता पटेल	एम.ए जनसंचार विभाग (प्रथम छमाही)	अन्य पिछड़ा वर्ग
शिक्षा विद्यापीठ			
6	श्री आनन्द साहू	बी.एड-एम.एड. एकीकृत (चतुर्थ छमाही)	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	श्री चंदन कुमार	बी.एड-एम.एड एकीकृत (पंचम छमाही)	सामान्य

उपर्युक्त चयनित विद्यार्थियों को दिनांक 10.12.2019 से कार्यदिवस में सायं 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक तथा शनिवार-रविवार को पुस्तकालय खुलने की अवधि में (सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) अर्न बाय लर्न योजना के तहत प्रतिमाह राशि रु. 4000/- सकल मानदेय पर कर्तव्यस्थ किया जाता है।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालयादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 09.12.2019 तक चयनित विद्यार्थियों को पुस्तकालय संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण देंगे।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
28/11/19

प्रति,

संबंधित सभी (इस आशय के साथ कि सभी चयनित विद्यार्थी सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष से संपर्क कर यथोचित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।)

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. वित्ताधिकारी कार्यालय (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
4. संबंधित अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष